झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, मेन रोड, रॉची – 834001.

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दामोदर घाटी निगम ने APR वर्ष 2015–16, Business Plan, ARR एवं control period FY 2016-17 to FY 2020-21 तक का MYT Petition देते हुए वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत वितरण दर निर्धारण करने हेतु आयोग के समक्ष आवेदन दिया है । आवेदन की एक प्रति दामोदर घाटी निगम ने अपने वेबसाईट(www.dvc.gov.in) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 26 और 27 सितम्बर 2017 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 24 अक्टूबर 2017 तक आपत्तियॉ/सुझाव/मंतव्य मांगा गया था । दामोदर घाटी निगम के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव/मंतव्य का उत्तर संबंधित व्यक्ति/संस्था को भेज दिया गया है । इस आवेदन की एक प्रति झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वेबसाईट (www.jserc.org/dvc2017.aspx) पर भी उपलब्ध है ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत वितरण दर निर्धारण करने के पूर्व उक्त आवेदन पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के द्वारा **जन–सुनवाई** निम्नलिखित तिथियों को अंकित समयों एवं स्थानों पर होना सुनिश्चित किया गया है –

जन–सुनवाई की तिथि एवं समय	जन–सुनवाई का स्थान	जन–सुनवाई का स्थल
18.12.2017 (सोमवार) 2.30 बजे अपराह्न से	**हजरीबाग**	**होटल श्री विनायक, पी0टी0सी0 चौक, मतवारी, हजारीबाग।**
20.12.2017 (बुधवार) 11.30 बजे पूर्वाह्न से	**मैथन**, धनबाद	**ऑडिटोरियम, कम्बान्ड बिल्डिंग, एरिया नं0 – 6, डी0वी0सी0 मैथन, जिला – धनबाद ।**

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप सभी वितरण लाईसेंसी का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने प्राधिकृत क्षेत्र मे सभी वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं को आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर विद्युत प्रदाय करना आवश्यक है । फलस्वरूप आयोग सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत वितरण दर निर्धारित करने का निर्णय लिया है । इस संबंध में भी यदि किसी लाईसेंसी या उपभोक्ता या उपभोक्ता समूह को कोई भी सुझाव देना है तो वह अपना सुझाव/मंतव्य/आपत्ति आयोग के समक्ष रख सकते हैं ।

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियॉ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेशानुसार

सचिव